सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-7693/MP/989/2026-RO-BH/RU-I **दिनांक: 20.07.2026**

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला-रायसेन,
कलेक्टर कार्यालय,
रायसेन, मध्य प्रदेश- 464551
ई-मेल: dmraisen@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला रायसेन,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
रायसेन, मध्य प्रदेश- 464551
ई-मेल: sp_raisen@mppolice.gov.in

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्य प्रदेश शासन,
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन,
पंजीयन भवन, 35-ए, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462011
ई-मेल: igrebpl@nic.in

विषय: अनावेदक द्वारा आदिवासी महिला की भूमि पर षड़यंत्र व धोखाधड़ी से कब्जा करने के संबंध में श्रीमती पानबाई सहरिया, निवासी-ग्राम बागोद, तहसील व जिला-रायसेन, मध्य प्रदेश से प्राप्त दिनांक 08.05.2026 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमती पानबाई सहरिया,
निवासी-ग्राम बागोद,
तहसील व जिला-रायसेन, मध्य प्रदेश

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या - NCST/DEV-7693/MP/989/2026-RO-BH/RU-I

अनुसूचित जनजाति महिला की भूमि पर कथित अवैध कब्जा, राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी, जातिगत उत्पीड़न एवं भूमि अधिकारों के हनन के संबंध में श्रीमती पानबाई सहरिया, निवासी ग्राम-बागोद, तहसील एवं जिला-रायसेन (म.प्र.) के अभ्यावेदन पर दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. श्रीमती पानबाई सहरिया, निवासी ग्राम-बागोद, तहसील एवं जिला-रायसेन (म.प्र.) का अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। अभ्यावेदन के अनुसार आवेदिका ने दिनांक 18.12.1962 को ग्राम बागोद स्थित खसरा क्रमांक 154 रकबा 15.43 एकड़, खसरा क्रमांक 165/1 रकबा 12.86 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 165/2/1 रकबा 2.87 एकड़ सहित कुल 41.16 एकड़ भूमि विक्रेता भारत सिंह से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी।
3. आवेदिका का आरोप है कि ग्राम के कुछ भू-माफिया तत्वों द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की गई तथा उनकी वैध रूप से क्रय की गई भूमि को अपने नाम दर्ज कराकर उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया। आवेदिका के अनुसार जब वे एवं उनके पुत्र उक्त भूमि पर जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों द्वारा उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है तथा जान से मारने, झूठे प्रकरणों में फंसाने एवं परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाती हैं।
4. आवेदिका ने यह भी बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के हस्तांतरण एवं नामांतरण के संबंध में विधिक प्रतिबंध लागू हैं तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ऐसी भूमि का विक्रय अथवा नामांतरण नहीं किया जा सकता। अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्ष 1992 में तथा अपर कलेक्टर, रायसेन द्वारा वर्ष 2019 में उनके पक्ष में आदेश पारित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कथित रूप से अनावेदकगण द्वारा उन्हें निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है।
5. आवेदिका ने आयोग से अनुरोध किया है कि भूमि हड़पने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्यवाही की जाए तथा उनकी भूमि का नामांतरण कर वास्तविक कब्जा दिलाया जाए।
6. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 12.05.2026 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन, पुलिस अधीक्षक, रायसेन तथा महानिरीक्षक पंजीयन, मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी किया गया था। तथापि, सुनवाई की तिथि तक संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि प्रकरण में राजस्व अभिलेखों, नामांतरण की वैधता, पूर्व में पारित राजस्व आदेशों की स्थिति तथा अनुसूचित जनजाति भूमि के संरक्षण संबंधी वैधानिक प्रावधानों का परीक्षण आवश्यक है। साथ ही आवेदिका द्वारा लगाए गए जातिगत उत्पीड़न एवं धमकी संबंधी आरोपों की भी स्वतंत्र जांच अपेक्षित है।
8. दिनांक 16.06.2026 को सुनवाई के दौरान उपस्थित प्राधिकारी ने आयोग को बताया कि जब उक्त जमीन को बेचा गया था तब विक्रेता ने अनुसूचित जनजाति समाज से होने की बात को नहीं बताया था।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्राधिकारी ने आयोग को यह भी अवगत कराया कि उस समय उनके नाम का उपनाम सौर्या था विक्रेता ने बाद में अपना सहरिया जनजाति का प्रमाणपत्र बनवाया है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मद्रांक, मध्य प्रदेश से प्राप्त रिपोर्ट के अनुशार उक्त भूमि पर रिकार्ड में क्रेता के वारिसान का नाम दर्ज है।

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण एवं आवेदिका के कथनों पर विचार करने के उपरांत माननीय आयोग ने निम्न अनुसंशसा की –

(i) प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयोग का एक जांच दल जांच हेतु दौरा करेगा।जिला प्रशासन आयोग के दल के दौरे के समय साथ रहेगा और आवश्यक दस्तावेज देते हुए पूर्ण सहयोग करेगा।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/DEV-7693/MP/989/2026-RO-BH/RU-I

दिनांक: 16.06.2026

विषय: अनावेदक द्वारा आदिवासी महिला की भूमि पर षडयंत्र व धोखाधड़ी से कब्जा करने के संबंध मे श्रीमती पानबाई सहरिया, निवासी-ग्राम बागोद, तहसील व जिला-रायसेन, मध्य प्रदेश से प्राप्त दिनांक 08.05.2026 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेंदु कांत	निदेशक		
3.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायसेन,
कलेक्टर कार्यालय, रायसेन, मध्य प्रदेश- 464551

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				

पुलिस अधीक्षक, जिला रायसेन,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रायसेन, मध्य प्रदेश- 464551

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2.				
3.				

महानिरीक्षक पंजीयन, मध्य प्रदेश शासन,
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन, पंजीयन भवन, 35-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462011

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	रजनेश कुमार सोलंकी	वरि. जिला पंजीयक	9926923625	[signature] 16/6/26
2.				
3.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2.				
3.				